पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 01/2020

अनवान :

सुरेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट आयु 38 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

—वादी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र हनुमान जाति जाट आयु 54 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मुकेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट आयु 34 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट आयु 35 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुशीला पुत्री रामप्रताप पत्नी सत्यप्रकाश जाति जाट आयु 39 वर्ष निवासी भिरानी हाल डोभी तहसील व जिला हिसार।
5. बैंक एस.बी.आई शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबधंक डाबड़ी

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनम चन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4 श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भिरानी के खाता सं0 470/443 के मु0नं0 15 के किला नं0 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 21 ता 23 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 28 के किला नं0 1 ता 3 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 350 के किला नं0 23 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 351 के किला नं0 21 की 0.253 है0, मु0नं0 376 के किला नं0 1 ता 4 किला नं0 7 ता 14, किला नं0 17 ता 24 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 377 के किला नं0 3 ता 8, किला नं0 13 ता 18, किला नं0 23 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.2[illegible] मु0नं0 395 के किला नं0 5 की 0.253 है0, मु0नं0 396 के किला [illegible] की 0.253 है0, कुल किता 58 कुल क्षेत्रफल 14.674 है[illegible] प्रतिवादी सं0 1 के [illegible] खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप की ब[illegible] वादी व प्रतिवादी सं0[illegible]3 का 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर और प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप का 1/5 हिस्सा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ने उक्त वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें । खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करें ।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-2-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 01/2020

अनवान :

सुरेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट आयु 38 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

—वादी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र हनुमान जाति जाट आयु 54 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मुकेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट आयु 34 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट आयु 35 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुशीला पुत्री रामप्रताप पत्नी सत्यप्रकाश जाति जाट आयु 39 वर्ष निवासी भिरानी हाल डोभी तहसील व जिला हिसार।
5. बैंक एस.बी.आई शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबधंक डाबडी

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत :— घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी
: वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा
प्रतिवादी सं0 1 ता 4

निर्णय दिनांक : 20-02-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव भिरानी कि जमाबंदी सम्वत 2074—2077 के खाता सं0 470/443 के मु0 नं0 15 के किला नं0 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 21 ता 23 के प्रत्येक किला की 0.253 [illegible] 28 के किला नं0 1 ता 3 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 नं0 350 [illegible] के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 नं0 351 के किला नं0 21 [illegible], मु0 नं0 376 के किला नं0 1 ता 4, किला नं0 7 ता 14, किला नं0 17 ता 24 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 नं0 377 के किला नं0 3 ता 8, किला नं0 13 ता 18, किला नं0 23 ता 25 के प्रत्येक किला

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की 0.253 है0, मु0नं0 395 के किला नं0 5 की 0.253 है0, मु0 नं0 396 के किला नं0 1 ता 4 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, कुल किता 58 कुल क्षेत्रफल 14.674 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है यही बिनाए दावा है नकल जमाबंदी संलग्न अर्जीदावा है।

उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता रामप्रताप को वादी के दादा हनुमान से प्राप्त हुई है जो गांव भिरानी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 2038 के खाता सं0 257 से साफ रोशन है । उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक का उक्त भूमि में से 1/5 हिस्सा है ।

उक्त भूमि बाबत हम मिकरान ने पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार उक्त वाद भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 को 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर और प्रतिवादी सं0 1 को 1/5 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है इसी अनुसार वे काश्त करते चले आ रहे है और प्रतिवादीया सं0 4 वादी की बहिन है जो शादीशुदा है तथा अपने ससुराल में खुशी से आबाद है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में बहिस्सा बराबर तर्क की हुई ळें

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे के.सी.सी. ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद सं0 3 में दर्ज गांव भिरानी के खाता सं0 470/443 की कुल किता 58 का कुल क्षेत्रफल 14.674 है बारानी जो प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप अकेले के नाम दर्ज है के स्थान पर वादी और प्रतिवादी सं0 2 व 3 का 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर और प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा की घोषणा करा पाने का अधिकारी हैं।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 व 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया और प्रतिवादी सं0 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश कर दावा के तथ्यो को स्वीकार करते हुए दावा में चाहे गये अनुतोष अनुसार डिक्री जारी करने की सहमति दी है प्रतिवादी सं0 5 को तर्क किया गयझं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी सुरेश कुमार के ब्यान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी गांव भिरानी सम्वत् 2074–2077 खाता सं0 470/443 प्रदर्श 1 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 2038 खाता सं0 257 प्रदर्श 2 , वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भिरानी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस का मनन किया गया । पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । हस्तगत वाद , वादी ने गांव भिरानी के खाता सं0 470/443 की कुल 14.674 है0 बारानी में वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर और प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा भूमि अनुसार अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हको की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी भिरानी सम्वत 2074–2077 खाता सं.0 470/443 प्रदर्श 1 खतौनी बन्दोबस्त खाता सं0 257 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये है जिससे वाद भूमि दादालाई व प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप को विरासतन प्राप्त होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप के वारिस में पत्नी रोशनी , तीन पुत्र सुरेश कुमार ,मुकेश कुमार , विनोद कुमार व एक पुत्री सुशीला होना व इनके अलावा कोई वारिस नही होना अंकित है । प्रतिवादीया सं0 4 ने मुताबिक राजीनामा वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में ब. हि. ब. त्याग कर दिया है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भिरानी की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता सं0 470/443 के मु0 नं0 15 के किला नं0 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 21 ता 23 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 नं0 28 के किला न0 1 ता 3 [illegible] किला की 0.253 है0, मु0 नं0 350 के किला नं0 23 ता 25 के प्रत्येक [illegible] मु0 नं0 351 के किला नं0 21 की 0.253 है0, मु0 नं0 376 [illegible] किला न0 7 ता 14, किला नं0 17 ता 24 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 [illegible] 377 के किला नं0 3 ता 8, किला नं0 13 ता 18, किला नं0 23 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 नं0 395 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

किला नं0 5 की 0.253 है0, मु0 नं0 396 के किला नं0 1 ता 4 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, कुल किता 58 कुल क्षेत्रफल 14.674 है0 बारानी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप की बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर और प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ने उक्त वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें । खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20-09-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner